V'LV dk nkf;Ro

(1) उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों (जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपये तक है) के मेधावी विद्यार्थियों (न्यूनतम 1/3 बालिकाएँ) को विश्वस्तरीय उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु उच्च गुणवता के अकादमिक केन्द्र विभिन्न स्थानों पर स्थापित करेंगे। ऐसे शिक्षण केन्द्रों का समस्त वित्त पोषण, प्रबंधन तथा संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की उच्च एवं उत्कृष्ट आवासीय स्कूल शिक्षा नितान्त निःशुल्क प्रदान करेगा।

(3) चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 12 तक की उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ–2 व्यवसायिक पाठ्य की प्रवेश परीक्षा हेतु तैयारी करायी जायेगी।

(4) नगरीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों की भाँति, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उपयुक्त शैक्षिक वातावरण एवं अवसर प्रदान करेगी तथा साथ–ही–साथ उच्च शैक्षिक पथ हेतु सर्वोत्तम सुविधाएँ उपलब्ध करायेगी।

(5) शैक्षिक केन्द्रों की स्थापना हेतु क्रय की जाने वाली भूमि, भवन निर्माण, मानव संसाधन एवं संचालन पर होने वाले क्रमिक व्यय को ट्रस्ट अपने संसाधनों से वहन करेंगे। राज्य सरकार ऐसे अकादमिक केन्द्रों की स्थापना तथा संचालन में किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगी।

(6) विद्याज्ञान स्कूल में दो स्तरों पर लिखित परीक्षाओं के माध्यम से उपयुक्त एवं सक्षम मेधावी विद्यार्थियों का चयन ट्रस्ट सुनिश्चित करेगी। लिखित परीक्षा की प्रक्रिया निम्नवत् होगीः–

(क) चयनित जनपदों में, प्रथम चरण की लिखित परीक्षा जिला स्तर पर संचालित की जायेगी और इसे प्राथमिक परीक्षा के नाम से जाना जायेगा और ट्रस्ट के प्रतिनिधि की उपस्थिति में परीक्षा संचालित की जायेगी। प्राथमिक परीक्षा का प्रबंध जिला मजिस्ट्रेट के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित अन्य विभागों की सहायता से सम्पन्न करायी जायेगी।

(ख) अग्रिम स्तर की परीक्षा को अंतिम परीक्षा के नाम से जाना जायेगा। अंतिम परीक्षा संबंधित विद्याज्ञान स्कूल द्वारा आयोजित की जायेगी, जिसमें प्राथमिक परीक्षा के न्यूनतम अंकों के सफल विद्यार्थियों (बालक एवं बालिकाओं) को उपयुक्त अनुपात में संबंधित विद्याज्ञान स्कूल के परीक्षा केन्द्र में अंतिम परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा। इस अंतिम परीक्षा के न्यूनतम आवश्यक अंकों के परिणाम के आधार पर मेधावी विद्यार्थियों को संबंधित विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

(ग) भविष्य की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के दृष्टिगत, यदि आवश्यक हो और पात्र विद्यार्थियों के चयन हेतु, ट्रस्ट कार्यान्वयन एवं प्रवेश प्रक्रिया को संशोधित कर सकेंगे, जिससे सक्षम मेधावी विद्यार्थियों का चयन सम्भव हो सके। अग्रेतर समय–2 पर, ट्रस्ट राज्य स्तरीय एवं केन्द्र सरकार की एजेंन्सीज/विभागों अथवा उनकी योजनाओं/प्रक्रियाओं की पात्र विद्यार्थियों के चयन में सहायता ले सकेगी।

(घ) उपरोक्त प्रक्रियाओं के रहते हुए भी, विद्याज्ञान स्कूल में विद्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया में ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा।

jkT; ljdkj dk nkf;Ro%

(1) राज्य सरकार, शिक्षा प्रशासन एवं जिला प्रशासन को ऐसे समुचित निर्देश प्रसारित करेगी जिससे औपचारिक अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर प्रत्येक बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों से सर्वोच्च अंक प्राप्त एक बालिका एवं एक बालक का अभिज्ञान जिला स्तर की प्राथमिक परीक्षा हेतु हो सके। संबंधित विभागों को, अभिज्ञात विद्यार्थियों को प्राथमिक लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र निर्गत करने तथा जिला मुख्यालय पर लिखित परीक्षा की व्यवस्था हेतु भवन, प्रांगण एवं परीक्षा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रसारित करेगी।

(2) समझौता–ज्ञापन के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऐसे निर्देश प्रसारित करेगी कि जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से अन्य स्थानीय विभागों द्वारा विद्याज्ञान स्कूल में पात्र विद्यार्थी का चयन एवं प्रवेश में ट्रस्ट को सहयोग प्राप्त हो सके और विद्याज्ञान स्कूल में निष्पक्ष प्रवेश प्रक्रिया हेतु समय–2 पर प्रशासनिक सहायता एवं सहयोग हेतु निर्देश प्रसारित करेगी।

mHk; i{k dk nkf;Ro%

(1) उपरोक्त कार्यो को सम्पादित करने हेतु समस्त व्यय भार ट्रस्ट द्वारा वहन किया जायेगा। राज्य सरकार, जैसा कि ऊपर व्यक्त किया गया है, विद्याज्ञान स्कूल में मेधावी विधार्थियों के निष्पक्ष चयन एवं प्रवेश हेतु सभी प्रकार का सहयोग एवं सहायता प्रदान करेगी।

(2) इस समझौता–ज्ञापन में वर्णित उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट एवं राज्य सरकार संयुक्त रूप से इस प्रकार से कार्यवाही करेंगे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों (न्यूनतम 1/3 बालिकाओं) का निष्पक्ष रूप से चयन बिना किसी कठिनाई के सम्भव हो सकें।

(3) उपर्युक्त प्रस्तर–2 (6) (क) के संबंध में जनपद का चयन ट्रस्ट एवं राज्य सरकार की सहमति से किया जायेगा।

भवदीय,
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

la[;k ,oa fnukad rnSo

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, न्याय अनुभाग–1
2. प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1
3. परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 लखनऊ।
7. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
8. उ0प्र0 सचिवालय, शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड बुक।

भवदीय,
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव